(37)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस–आई/पार्ट फाइल/37 दिनांक 10.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने ''कोविड–19'' की महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे भारत में लॉकडाउन किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, आदेश सं. 121, दिनांक 25.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन उपायों के दिशानिर्देशों पर खंड 9 और 10 में निदेश दिए गए थे जिनके तहत विशेष तौर पर यह उल्लेख किया गया था कि किसी छूट के बिना किसी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रम/सम्मेलन आदि पर प्रतिबंध रहेगा. दिशा–निर्देशों में यह उल्लेख किया गया था कि सभी पूजास्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।

और जबकि, अप्रैल 2020 माह में त्यौहारों के आयोजन को देखते हुए, दिल्ली की विधिक एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा कि लॉकडाउन उपायों का उचित और सही भावना से कड़ा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि सभी जिलाधिकारी और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त किसी सामाजिक/धार्मिक आयोजन/जुलूस निकालने को रोकेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन उपायों का कड़ा अनुपालन किया जाता हो और कानून व्यस्था कायम रखने शांति बनाए रखने तथा सार्वजनिक रूप से शांति बनाए रखने के लिए अपेक्षित सावधानियां बरती जाती होंधनिवारक उपाय के जाते हों. किसी आपत्तिजनक विवरण के प्रसार के विरुद्ध सोशल मीडिया पर उचित रूप से

नजर रखी जाएगी. कानून लागू करने वाली एजेंसियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक प्राधिकरणों, सामाजिक/धार्मिक संगठनों और नागरिकों पर भी ध्यान देना सुनिश्चित किया जाएगा, उपर्युक्त प्रावधानों का भी व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन के संबंध में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आईपीसी के संबद्ध दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।

(विजय देव)

मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, दिल्ली।
2. समस्त जिलों के पुलिस उपायुक्त।
3. निदेशक, डीआईपी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को लॉकडाउन उपायों के किसी उल्लंघन के संबंध में उक्त प्रावधानों के व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
5. उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली।
8. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।